6-9-19 वकील उभयपक्ष उपस्थित वादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र पेश हुआ शामिल पत्रावली किया। राज पैराकार द्वारा पेश किया गया शामिल पत्रावली किया गया। बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 9-9-19 को पेश हो।

9-9-19 वकील उभयपक्ष उपस्थित गत पेशी पर सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन बाद वादी पोषणीय पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील अभिलेख दफ्तर हो।

(कपिल यादव)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी

न्यायालय उपख
ासीन अधिकारी :-
जस्व वाद संख्या :-
1 रमेश कुमार
तहसील व जि
1 रामलाल उर्फ
हनुमानगढ़।
2 भादर राम
हनुमानगढ़।
3 कृष्णलाल पु
हनुमानगढ़।
4 गुड्डी पुत्री रा
फाजिलका।
5 सुमन रानी
तहसील अबो
6 सुनीता रानी
तहसील अबो
7 कान्ता पुत्री
तहसील पीलं
8 ओ.बी.सी. बैंक
9 राजस्थान रा
दावा अन्तर्गत
1. श्री रामकुमार
2. कुमारी सन्तो
3. राज पैराकार
वादी द्वारा प्र
न्यायालय में प्र
ख्या 1 रामलाल उ
आर खाता संख्या
2.883 हैक्टर भूमि
/57 सम्वत 20
राह पेश है।
प्रतिवादी सं
वादी संख्या 5,
मप्रकाश के वादी
ख्या 1 से 7 का
वार संयुक्त परि

Scanned by CamScanner

(राजस्व वाद संख्या :– 274/2019 अनवान रमेश कुमार बनाम रामलाल उर्फ रामु)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 274/2019

1 रमेश कुमार पुत्र स्व. औमप्रकाश पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी चोहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़। – – वादी

–:: बनाम ::–

1 रामलाल उर्फ रामु पुत्र मोहरू जाति जाट निवासी चोहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2 भादर राम पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी चोहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3 कृष्णलाल पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी चोहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4 गुड्डी पुत्री राम लाल पत्नी कालुराम जाति जाट निवासी रामसरा तहसील व जिला फाजिलका।
5 सुमन रानी पुत्री स्व. औमप्रकाश पत्नी सुनील कुमार जाति जाट निवासी बग्गु तहसील अबोहर जिला फिरोजपुर।
6 सुनीता रानी पुत्री स्व0. औमप्रकाश पत्नी सुधीर कुमार जाति जाट निवासी बग्गु तहसील अबोहर जिला फिरोजपुर।
7 कान्ता पुत्री स्व. औमप्रकाश पत्नी सुभाष चन्द्र जाति जाट निवासी चक धोरेवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
8 ओ.बी.सी. बैंक शाखा चोहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
9 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़। – – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् विभाजन

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री रामकुमार बिश्नोई अधिवक्ता	वादी
2. कुमारी सन्तोष पूनियां अधिवक्ता	प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7
3. राज पैराकार	प्रतिवादी संख्या 9

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 09.09.2019

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादी के दादा प्रतिवादी संख्या 1 रामलाल उर्फ रामु के नाम से एकल खाता की कृषि भूमि वाके चक नम्बर 20 एन.डी.आर खाता संख्या 57/57 में 2.936 हैक्टर व चक 21 एन.डी.आर. खाता संख्या 74/60 मे 2.883 हैक्टर भूमि दर्ज खातेदारी है। नकल जमाबंदी चक 20 एन.डी.आर. खाता संख्या 57/57 सम्वत 2074–77, चक 21 एन.डी.आर. खाता संख्या 74/60 सम्वत 2075–78 हमराह पेश है।

प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त भूमि अपने पिता मोहरू से विरासतन प्राप्त हुई है वादी व प्रतिवादी संख्या 5, 6, 7 के पिता औमप्रकाश पुत्र रामलाल का देहान्त हो चुका है स्व. औमप्रकाश के वादी व प्रतिवादी संख्या 5 से 7 वारिसान है। उक्त भूमि मे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 7 का जन्म से विरासतन हक हिस्सा है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का परिवार संयुक्त परिवार था भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की है तथा संयुक्त परिवार विभाजित हो

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

गया है विभाजन उपरांत वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने उक्त भूमि का आपस मे घरू बंटवारा कर लिया है प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 7 ने घरू बंटवारा मे प्राप्त अपने हक हिस्सा की भूमि का हक त्याग वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 के पक्ष मे कर दिया है। मुताबिक घरा घरू बंटवारा वादी रमेश कुमार को चक 20 एन.डी.आर. मे 0.676 हैक्टर, चक 21 एन. डी.आर. मे 1.012 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 1 रामलाल को चक 20 एन.डी.आर. मे 0.759 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 2 भादर राम को चक 21 एन.डी.आर. मे 1.204 हैक्टर, चक 20 एन. डी.आर. मे 0.827 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 3 कृष्णलाल को चक 20 एन.डी.आर. मे 0.676 हैक्टर, चक 21 एन.डी.आर. मे 1.012 हैक्टर, भूमि प्राप्त हुई है तथा अरसा पूर्व वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने उक्त भूमियो का घरू विभाजन किया हुआ है। घरू बंटवारा मे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को निम्न भूमि प्राप्त हुई है जिस पर हम शांति पूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे है :–

1. वादी रमेश कुमार :– चक नम्बर 21 एन.डी.आर. के पत्थर नम्बर 126 / 345 (10) किला नबर 14 ता 17, चक 20 एन.डी.आर. के पत्थर नम्बर 130 / 347 (27) किला नम्बर 11 / .228, 20 / .228, पत्थर नम्बर 131 / 348 (31) किला नम्बर 22 / .135 पूर्वी, पत्थर नम्बर 131 / 349 (36) किला नम्बर 1 / .085 पश्चिमी कुल तादादी 1.688 हैक्टर।
2. प्रतिवादी संख्या 1 रामलाल उर्फ रामु :– चक नम्बर 20 एन.डी.आर. के पत्थर नम्बर 131 / 348 (31) किला नम्बर 20 / .253, पत्थर नम्बर 131 / 349 (36) किला नम्बर 2 / .253, 10 / .253 कुल तादादी 0.759 हैक्टर।
3. प्रतिवादी संख्या 2 भादरराम :– चक नम्बर 21 एन.डी.आर. पत्थर नम्बर 126 / 345 (10) किला नम्बर 24 / .202, 25 / .202, पत्थर नम्बर 128 / 345 (12) किला नम्बर 16 / .253, 25 / .202, चक 20 एन.डी.आर. पत्थर नम्बर 131 / 348 (31) किला नम्बर 18 / .253, 19 / .253, 21 / .228, 22 / .093 पश्चिमी कुल तादादी 1.686 हैक्टर।
4. प्रतिवादी संख्या 3 कृष्णलाल :– चक नम्बर 21 एन.डी.आर. के पत्थर नम्बर 126 / 345 (10) किला नम्बर 4 ता 7 चक नम्बर 20 एन.डी.आर. के पत्थर नम्बर 131 / 349 (36) किला नम्बर 8 / .253, 9 / .253, 1 / .168 पश्चिमी कुल तादादी 1.686 हैक्टर।

प्रश्नगत कृषि भूमि अभी तक प्रतिवादी संख्या 1 के नाम होने से वादीगण के हकों पर विपरीत प्रभाव पडता है तथा भूमि वादीगण के नाम नही होने से वादी बैंक लोन व अन्य सरकारी योजनाओ का लाभ लेने से वंचित हो रहा है अतः वादी इस अमर की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी है कि वादी रमेश कुमार चक 20 एन.डी.आर. मे 0.676 हैक्टर, चक 21 एन.डी.आर. मे 1.012 हैक्टर का खातेदार काश्तकार है।

खाता मुश्तरका होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण के बीच आये दिन रकम राज व बट सींव को लेकर विवाद रहता है। इसलिए वादीगण अपनी कब्जा काश्त अनुसार खाता विभाजन करवा कर अपना खाता अलग कायम करवाना चाहते है। वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वाद पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णितानुसार भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित करवाकर खाता विभाजन करवा देवे पहले तो वे टालमटोल करते रहे आखिर 7 रोज पूर्व मुकाम चोहिलावली मे स्पष्ट इन्कार हो गये।

प्रतिवादी संख्या 8 के यहां भूमि रहन होने व प्रतिवादी संख्या 9 को बतौर भू–धारक वाद मे पक्षकार बनाया गया है। वाद पत्र श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार श्रवणाधिकार एवं पूर्ण कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकर डिक्री फरमाया जावे :–

लगातार 3

Scanned by CamScanner

(क) घोषणा फरमाई जावे कि वादी रमेश कुमार चक 20 एन.डी.आर. मे 0.676 हैक्टर चक 21 एन.डी.आर. मे 1.012 हैक्टर का खातेदार काश्तकार है।

(ख) वाद पत्र की चरण संख्या 3 के मुताबिक वादीगण का खाता अलग कायम कर रकम राज अलग कायम की जावे।

(ग) अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय दिलाना उचित समझे, दिलाया जावे।

(घ) खर्चा मुकदमा दिलाया जावे

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 04.09.2019 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये गये। उभयपक्ष की पहचान उनके अधिवक्तागणों द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि उक्त प्रकरण मे हम पक्षकारान का पंचायत के मौजिज व्यक्तियों ने राजीनामा करवा दिया है। प्रतिवादी संख्या 1 रामलाल उर्फ रामु के नाम से एकल खाता की कृषि भूमि वाके चक नम्बर 20 एन. डी.आर. खाता संख्या 57 / 57 मे 2.936 हैक्टर व चक 21 एन.डी.आर. खाता संख्या 74 / 60 मे 2.883 हैक्टर भूमि दर्ज खातेदारी है। प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त भूमि अपने पिता मोहरू से विरास्तन प्राप्त हुई है वादी व प्रतिवादी संख्या 5, 6, 7 के पिता औमप्रकाश पुत्र रामलाल का देहान्त हो चुका है स्व. औमप्रकाश के वादी व प्रतिवादी संख्या 5 से 7 वारिसान है। उक्त भूमि मे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 7 का जन्म से विरासतन हक हिस्सा है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का परिवार संयुक्त परिवार था भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की है तथा संयुक्त परिवार विभाजित हो गया है विभाजन उपरांत वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 ने उक्त भूमि का आपस मे घरू बंटवारा कर लिया है प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 7 ने घरू बंटवारा मे प्राप्त अपने हक हिस्सा की भूमि का हक त्याग वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 के पक्ष मे कर दिया है। मुताबिक घरा घरू बंटवारा वादी रमेश कुमार को चक 20 एन.डी. आर. मे 0.676 हैक्टर चक 21 एन.डी.आर. मे 1.012 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 1 रामलाल को चक 20 एन.डी.आर. मे 0.759 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 2 भादर राम को चक 21 एन.डी.आर मे 1.204 हैक्टर, चक 20 एन.डी.आर. मे 0.827 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 3 कृष्णलाल को चक 20 एन.डी.आर. मे 0.676 हैक्टर, चक 21 एन.डी.आर. मे 1.012 हैक्टर, भूमि प्राप्त हुई है तथा अरसा पूर्व वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने उक्त भूमियो का घरू विभाजन किया हुआ है । घरू बंटवारा मे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को निम्न भूमि प्राप्त हुई है जिस पर हम शाति पूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे है :–

1. वादी रमेश कुमार :– चक नम्बर 21 एन.डी.आर. के पत्थर नम्बर 126 / 345 (10) किला नबर 14 ता 17, चक 20 एन.डी.आर. के पत्थर नम्बर 130 / 347 (27) किला नम्बर 11 / .228, 20 / .228, पत्थर नम्बर 131 / 348 (31) किला नम्बर 22 / .135 पूर्वी, पत्थर नम्बर 131 / 349 (36) किला नम्बर 1 / .085 पश्चिमी कुल तादादी 1.688 हैक्टर।
2. प्रतिवादी संख्या 1 रामलाल उर्फ रामु :– चक नम्बर 20 एन.डी.आर. के पत्थर नम्बर 131 / 348 (31) किला नम्बर 20 / .253, पत्थर नम्बर 131 / 349 (36) किला नम्बर 2 / .253, 10 / .253 कुल तादादी 0.759 हैक्टर।
3. प्रतिवादी संख्या 2 भादरराम :– चक नम्बर 21 एन.डी.आर. पत्थर नम्बर 126 / 345 (10) किला नम्बर 24 / .202, 25 / .202, पत्थर नम्बर 128 / 345 (12) किला नम्बर 16 / .253, 25 / .202, चक 20 एन.डी.आर. पत्थर नम्बर 131 / 348 (31) किला नम्बर 13 / .253, 19 / .253, 21 / .228, 22 / .093 पश्चिमी कुल तादादी 1.686 हैक्टर।

Scanned by CamScanner

4. प्रतिवादी संख्या 3 कृष्णलाल :– चक नम्बर 21 एन.डी.आर. के पत्थर नम्बर 126/345 (10) किला नम्बर 4 ता 7 चक नम्बर 20 एन.डी.आर. के पत्थर नम्बर 131/349 (36) किला नम्बर 8/.253, 9/.253, 1/.168 पश्चिमी कुल तादादी 1.686 हैक्टर।

वादी रमेश कुमार को चक 20 एन.डी.आर. में 0.676 हैक्टर, चक 21 एन.डी.आर. मे 1.012 हैक्टर का खातदार काश्तकार घोषित किया जाये तथा मुताबिक उक्त वर्णित घरू बंटवारा वादी व प्रतिवादीगण का खाता अलग कायम कर रकम राज अलग कायम की जावे तो हम पक्षकारान को कोई आपति नहीं है।

लिहाजा राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री फरमाया जावे तो हम पक्षकारान पूर्णतया सहमत है।

प्रतिवादी संख्या 9 की और से राज पैराकार द्वारा जबाब स्टेट प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि राज्य हित को ध्यान में रखते हुए याचित अनुतोष प्रदान किया जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्तागणों नें राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 38–39–40–53, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखा धड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

मुल्ला के हिन्दु कानून की धारा 221–22 के अनुसार सयुक्त परिवार की सम्पति पर भी पुत्र पुत्रियों का जन्म से अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त धारा 227 के अनुसार संयुक्त हिन्दू परिवार का कोई भी सदस्य स्वयं अर्जित सम्पति को भी संयुक्त परिवार की सम्पति में शामिल कर सकता है। इस कारण उक्त वर्णित भूमि संयुक्त सम्पति की श्रेणी में आती है। जिसमें सभी हिन्दु परिवार के सदस्यों का समान हक है एवम् बंटवारा करवा सकता है। अपनें कथनों की पुष्टि हेतु आर.आर.डी. 1981 के पेज 512 एवम् आर.आर.डी. 1978 पेज 375 (एस.सी.) पेश किये।

लगातार

Scanned by CamScanner

हमने वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वादाधीन भूमि उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार जद्दी जायदाद होना स्वीकार के कारण वादी प्रतिवादी संख्या 1 का पोत्र व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र होनें के कारण उसका पैतृक भूमि में हक हिस्सा होनें से वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:: आदेश ::–

वादी एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत वाद में वर्णित प्रतिवादी संख्या एक की खातेदारी भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 रामलाल उर्फ रामू के पोत्र वादी संख्या 1 रमेश कुमार को 1.688 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 2 भादरराम जो प्रतिवादी संख्या 1 रामलाल उर्फ रामु का पुत्र है, को 1.686 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 3 कृष्णलाल जो प्रतिवादी संख्या 1 रामलाल उर्फ रामु का पुत्र है, को 1.686 हैक्टर, तथा प्रतिवादी संख्या 1 रामलाल उर्फ रामु को 0.759 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, के अन्तर्गत वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की भूमि का खाता विभाजन निम्नानुसार किया जाता है :–

1. वादी रमेश कुमार पुत्र स्व. औमप्रकाश पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी चोहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
21 एन.डी.आर.	74/60	126/345 (10)	14 ता 17	1.012 हैक्टर
20 एन.डी.आर	57/57	130/347 (27)	11/.228, 20/.228	0.456 हैक्टर
		131/348 (31)	22/.135 पूर्वी	0.135 हैक्टर
		131/349 (36)	1/.085 पश्चिमी	0.085 हैक्टर
कुल भूमि :–				1.688 हैक्टर

2. प्रतिवादी संख्या 1 रामलाल उर्फ रामु पुत्र मोहरू जाति जाट निवासी चोहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
20 एन.डी.आर.	57/57	131/348 (31)	20/.253	0.253 हैक्टर
		131/349 (36)	2/.253, 10/.253	0.506 हैक्टर
कुल भूमि :–				0.759 हैक्टर

3. प्रतिवादी संख्या 2 भादरराम पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी चोहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
21 एन.डी.आर.	74/60	126/345 (10)	24/.202, 25/.202	0.404 हैक्टर
		128/345 (12)	16/.253, 25/.202	0.455 हैक्टर
20 एन.डी.आर	57/57	131/348 (31)	18/.253, 19/.253, 21/.228, 22/.093 पश्चिमी	0.827 हैक्टर
कुल भूमि :–				1.686 हैक्टर

उपखण्ड अधिकारी

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official
Scanned by CamScanner

4. प्रतिवादी संख्या 3 कृष्णलाल पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी चोहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
21 एन.डी.आर.	74/60	126/345 (10)	4 ता 7	1.012 हैक्टर
20 एन.डी.आर	57/57	131/349 (36)	1/.168 पश्चिमी 8/.253, 9/.253,	0.674 हैक्टर
कुल भूमि :–				1.686 हैक्टर

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि ामस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया ाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) र्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। त्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 09.09.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया या।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

8

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 274/2019

1 रमेश कुमार पुत्र स्व. औमप्रकाश पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी चोहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़। — — वादी

–:: बनाम ::–

1 रामलाल उर्फ रामु पुत्र मोहरू जाति जाट निवासी चोहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2 भादर राम पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी चोहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3 कृष्णलाल पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी चोहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4 गुड्डी पुत्री राम लाल पत्नी कालुराम जाति जाट निवासी रामसरा तहसील व जिला फाजिलका।
5 सुमन रानी पुत्री स्व. औमप्रकाश पत्नी सुनील कुमार जाति जाट निवासी बग्गु तहसील अबोहर जिला फिरोजपुर।
6 सुनीता रानी पुत्री स्व. औमप्रकाश पत्नी सुधीर कुमार जाति जाट निवासी बग्गु तहसील अबोहर जिला फिरोजपुर।
7 कान्ता पुत्री स्व. औमप्रकाश पत्नी सुभाष चन्द्र जाति जाट निवासी चक धोरेवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
8 ओ.बी.सी. बैंक शाखा चोहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
9 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़। — — प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा :– 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् विभाजन

निर्णय दिनांक :– 09.09.2019

वादी की और से श्री रामकुमार बिश्नोई अधिवक्ता, तथा प्रतिवादीगण की और से कुमारी सन्तोष पूनियां अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक ....09.2019 को कपिल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है, उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत वाद में वर्णित प्रतिवादी संख्या एक की खातेदारी भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 रामलाल उर्फ रामू के पोत्र वादी संख्या 1 रमेश कुमार को 1.688 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 2 भादरराम जो प्रतिवादी संख्या 1 रामलाल उर्फ रामु का पुत्र है, को 1.686 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 3 कृष्णलाल जो प्रतिवादी संख्या 1 रामलाल उर्फ रामु का पुत्र है, को 1.686 हैक्टर, तथा प्रतिवादी संख्या 1 रामलाल उर्फ रामु को 0.759 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, के अन्तर्गत वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की भूमि का खाता विभाजन निम्नानुसार किया जाता है :–

1. वादी रमेश कुमार पुत्र स्व. औमप्रकाश पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी चोहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
21 एन.डी.आर.	74/60	126/345 (10)	14 ता 17	1.012 हैक्टर
20 एन.डी.आर	57/57	130/347 (27)	11/.228, 20/.228	0.456 हैक्टर
		131/348 (31)	22/.135 पूर्वी	0.135 हैक्टर
		131/349 (36)	1/.085 पश्चिमी	0.085 हैक्टर
		कुल भूमि :–		1.688 हैक्टर

कलक्टर

लगातार 2

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.11.28 15:52:44 IST
Reason: SelfAttested
Location: